संख्या 4267/नौ-4-2001-30 ज/2001

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2001

विषय :- परिचारिका केन्द्रीयित सेवा के वेतनमान रू0 8000-13500 (पुराना वेतनमान रू0 2200-4000) तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी राज्य सरकार की शक्तियों तथा कृत्यों के प्रतिनिधायन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2158/नौ-4-92-9 एलबी/87, दिनांक 01 मई, 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश पारिचारिका (केन्द्रीयित) सेवा के सभी संवर्गों के वेतनमान रू0 8000-13500 (पुराना वेतनमान रू0 2200-4000) के न्यून पदधारकों के स्थानान्तरण का अधिकार निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रतिनिधायित किया गया है ।

2- प्रकरण में सम्यक् विचार के पश्चात् श्री राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 01 मई, 1998 के आंशिक संशोधन में उ0प्र0 पारिचारिका (केन्द्रीयित) सेवा के सभी अधिकारियों/अधीक्षक कर्मचारियों, जिनका वेतनमान रू0 8000-13500 (पुराना वेतनमान रू0 2200-4000) तक है, के मामले में स्थानान्तरण संबंधी अधिकार निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रतिनिधायित किये जाने के आदेश देते हैं ।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 01-05-98 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । संदर्भित शासनादेशों द्वारा शेष प्रतिनिधायित अधिकारों का निर्वहन निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा । स्थानान्तरण सत्र के

---2---

अतिरिक्त समूह "ख" स्तर (वेतनमान रू0 8000-13500) तक के स्थानान्तरण प्रस्तावों पर शासन का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

भवदीय,

(जे0 एस0 मिश्र)
सचिव ।

संख्या 4267 (1)/नौ-4-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय से कि कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुसार मण्डलायुक्तों के अधिकार यथावत रहेंगे ।
2- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उ0प्र0 ।
3- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 ।
4- समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- गार्ड फाईल ।
6- नगर विकास अनुभाग-8

आज्ञा से,

(अवधेश नारायण)
अनुसचिव ।